रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 1999/ज्येष्ठ 28, 1921
No. 350] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 1999/JYAISTHA 28, 1921

12/11/99

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1999

का. आ. 465(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2455, तारीख 11 नवम्बर, 1998 को अधिक्रान्त करते हुए, -

(i) किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा तापीय उत्पादन केन्द्र के लिए तैयार की गई स्कीम के, जिसका सक्षम सरकार या सरकारों द्वारा तथा का.आ.सं. 251(अ), तारीख 30 मार्च, 1992 द्वारा अधिसूचित और का.आ.सं.410(अ), तारीख 23 मई, 1997 द्वारा संशोधित कारकों के अनुरूप प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया हो, संबंध में पांच हजार करोड़ रूपये नियत करती है,

(ii) किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा अन्य तापीय उत्पादन केन्द्र के लिए तैयार की गई स्कीम के, जिसका सक्षम सरकार या सरकारों द्वारा प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया हो, के संबंध में एक हजार करोड़ रूपये नियत करती है,

(iii) किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा, जो पूर्णत: या भागत: केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन नहीं है, एक या उससे अधिक राज्यों को विद्युत का प्रदाय करने के लिए और इस

बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी समिति या निकाय द्वारा प्रस्तावित किसी स्कीम के अनुसार अनुमोदित है, तैयार की गई किसी स्कीम के संबंध में बीस हजार करोड़ रुपये नियत करती है,

(iv) किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा जलीय विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए तैयार की गई स्कीम के, जिसका सक्षम सरकार या सरकारों द्वारा प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया हो, संबंध में एक हजार करोड़ रुपये नियत करती है;

(v) विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किसी स्कीम के संबंध में पांच सौ करोड़ रुपये नियत करती है; और

(vi) सभी अन्य स्कीमों के संबंध में दो सौ पचास करोड़ रुपये नियत करती है;

पूंजी व्यय की राशि इससे अधिक होती है तो स्कीम को प्राधिकरण के पास उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

2. अंतर्राज्यीय नदियों के जल का उपयोग करने वाली सभी जलीय विद्युत स्कीमों को प्राधिकरण के पास उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

[फा.सं. ए-45/97-आई. पी. सी. I-(खंड-2)]

पि. आई. सुब्रतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1999

S.O. 465(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O 2455, dated the 11th November,1998, the Central Government hereby fixes,

(i) in relation to a scheme for thermal generating station prepared by a Generating Company selected through a process of competitive bidding by the competent Government or Governments and conforming to the factors notified vide number S.O. 251(E), dated the 30th March, 1992 as amended vide number S.O. 410(E), dated the 23rd May, 1997, rupees five thousand crores;

(ii) in relation to a scheme for other thermal generating station prepared by a Generating Company selected through a process of competitive bidding by the competent Government or Governments, rupees one thousand crores;

(iii) in relation to a scheme prepared by a Generating Company, not wholly or partly owned by the Central Government or any State Government, for supply of power to more than one State, and approved in accordance with a scheme proposed by any committee or body authorised by the Central Government in this regard, rupees twenty thousand crores;

(iv) in relation to a scheme for hydro-electric generating station prepared by a Generating Company selected through a process of competitive bidding by the competent Government or Governments, rupees one thousand crores;

(v) in relation to a scheme for renovation and modernisation of existing power generating station, rupees five hundred crores; and

(vi) in relation to all other schemes, rupees two hundred and fifty crores;

as the sum of capital expenditure exceeding which the scheme shall be submitted to the Authority for its concurrence.

2. All hydro-electric schemes utilising water of inter-state rivers shall be submitted to the Authority for its concurrence.

[F. No. A-85/97-IPC. I (Vol. II)]

P. I. SUVRATHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.